	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 18, बुधवार, शाके 1943-मार्च 09, 2022 *Phalguna 18, Wednesday , Saka 1943- March 09, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 02, 2022

संख्या 2(13)वन/21 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन भूमि सरकार की संपत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्त है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है |

और चूँकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नही किये गये है |

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि,पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजड में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक हे,परन्तु चूँकि उन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13)की धारा 29 की उप-धारा (3)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हे लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन,यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है |

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3)कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में,राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है,राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Rserverd) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में,पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्‌वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी प्रवीण,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची							
क्र.स.	**नाम ब्लॉक**	**नाम तहसील**	**नाम जिला**	**सीमा**	**विवरण**		
					मौजा	**ख. नं.**	**है0**
1	गोपालपुरा माताजी	लाडपुरा	कोटा	उत्तर- राजस्व भूमि ख.स 156 ग्राम भिलोत	1. गोपालपुरा	745/443 747/450 452 749/460 514 517 518 519 751/522	5.80 4.14 14.30 3.00 38.98 13.24 1.20 4.05 28.52
				दक्षिण- वनभूमि ग्राम सिहपुरा ख.स. 470/350			
				पूर्व- वनभूमि ख.स 407			
				पश्चिम- वनभूमि ख.स 526			
					किता	9	113.23 है0
				उत्तर- वनभूमि ग्राम गोपालपुरा ख.स 514	2. सिंहपुरा	470/350 472/351 355 356	18.50 35.00 35.79 5.93
				दक्षिण- चारागाह भूमि ग्राम काल्याखेडी ख.स. 436/2			
				पूर्व- वनभूमि ख.स 354			
				पश्चिम- चारागाह भूमि ख.स 348,349			
					किता	4	95.22 है0
				उत्तर- वनभूमि ख.स 162/2	3. भिलोत	258/159 162	3.788 10.09
				दक्षिण- राजस्व भूमि ख.स. 169			
				पूर्व- वनभूमि ख.स 167			
				पश्चिम- रेल्वे भूमि ख.स 285/161			
					किता	2	13.878 है0
					कुल	15किता	222.328 है0

हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मण्डाना

हस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
कोटा

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

संख्या	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1	ANOGEISSUS PENDULA	धौकड़ा (धौक)
2	ACACIA CATECHU WILD	खैर
3	AZADIRACHTA INDICA	नीम
4	HOLOPTELEA INTEGRIFOLIA	चुरेल
5	PROSOPIS JULIFLORA	विलायती बबूल

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मण्डाना

हस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
कोटा

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

जिला - कोटा
तहसील - लाडपुरा
रेंज - मण्डाना
वनखण्ड - गोपालपुरा माताजी
ग्राम - गोपालपुरा,सिंहपुरा एवं भिलोत
वन मण्डल - कोटा

1- संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः-गैर मुमकिन जंगलात है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण सहित दर्शाया गया है।

2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराया गया है/कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।

3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.1 है।

4. सीमावृर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सीमा (राजस्व बंजर/खातेदारी/वन) वन एवं खातेदारी भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कर दिया गया है।

5. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न हैं एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं,सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी0टी0 शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

6. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है,जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग,कासाक्ष्यसिद्ध हो सकें।

7. राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।

8. उपरोक्त वनखण्ड नौनेरा बैराज (ERCP) परियोजना में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।

उक्त प्रस्तावित भूमि का प्रकाशन,पूर्व में राजपत्र में नही हुआ है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी	उप वन संरक्षक
मण्डाना	कोटा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।